

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 99/2019

पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

- अनवान
1. मु.स्तनी पत्नी बालू कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज. (प्रार्थी)  
बनाम
  1. रामकरण पिता कजोड रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
  2. रामनिवास पिता बन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
  3. रणजीत पिता बन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
  4. कल्याण पिता भूरा रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
  5. रतना पिता भूरा रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
  6. श्रवण पिता भूरा रेगर उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज. (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 9-4-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 26.11.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ.नि. बासेडा तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 270 के आ.न. 673, 674, 677 किता 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 29.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 31.03.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ. नि. बासेडा तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 270 के आ.न. 673, 674, 677 किता 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बासेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 9-4-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अमित कुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,

फुलियाकला, जिला भीलवाड़ा